

**राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर**  
राजस्थान मूल के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश / अनुमोदन

**अनुसार देय यात्रा सुविधाओं का विवरण 2020**

क्र.सं.	श्रेणी	देय सुविधा	सुविधा देय तिथि / वर्ष
1.	पत्रकार	निःशुल्क	वर्ष -1974
2.	स्वतन्त्रता सैनानी*	निःशुल्क	दिनांक 01.04.1987
3.	स्वतन्त्रता सैनानी का एक सहयोगी*	निःशुल्क	दिनांक 07.05.1994
4.	स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाएँ*	निःशुल्क	दिनांक 04.05.1989
5.	स्वतन्त्रता सैनानी की विधवा का एक सहयोगी*	निःशुल्क	दिनांक 02.03.2007
	* स्वतन्त्रता सैनानी एवं स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाओं (आश्रित) को एक सहयोगी सहित वातानुकूलित बसों सहित सभी श्रेणी की बसों में यात्रा सुविधा	निःशुल्क	दिनांक 08.01.2014
6.	(i) युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएँ एवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने	निःशुल्क	दिनांक 08.07.1999
	(ii) दिनांक 01-04-1999 एवं इसके बाद विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों/अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद सैनिकों की विधवाएँ एवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने	निःशुल्क	दिनांक 15.04.2013
	(iii) दिनांक 01-04-1999 एवं इसके बाद विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के माता-पिता	निःशुल्क	दिनांक 15.07.2013
7.	राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी बालिकाये कक्षा 8 तक अध्ययन हेतु स्कूल जाने व आने के लिये	निःशुल्क	माह -जून,1994
8.	पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	निःशुल्क	दिनांक 24.05.2010
9.	पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का एक सहयोगी	निःशुल्क	दिनांक 06.04.2011
10.	नेत्रहीन	निःशुल्क	वर्ष -1974
	अंधता	निःशुल्क	दिनांक 03.08.2010
11.	नेत्रहीन का एक सहयोगी	निःशुल्क	दिनांक 09.03.2005
	अंधता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी	निःशुल्क	दिनांक 03.08.2010
12.	श्रवण बाधित	यात्री किराया में 75% छूट निःशुल्क	दिनांक 31.08.1998 दिनांक 03.08.2010
13.	विकलांग (अस्थि विकलांग)	यात्री किराया में 75% छूट निःशुल्क	वर्ष -1978 दिनांक 07.04.2011
	चलन निःशक्तता	निःशुल्क	दिनांक 03.08.2010
14.	मानसिक विमन्दिता / मंदता	निःशुल्क	दिनांक 31.08.1998
		निःशुल्क	दिनांक 03.08.2010
15.	मानसिक विमन्दिता / मंदता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50% छूट निःशुल्क	दिनांक 31.08.1998 दिनांक 03.08.2010
16.	कम दृष्टि निःशक्तता	निःशुल्क	दिनांक 03.08.2010
17.	मानसिक रुग्णता	निःशुल्क	दिनांक 03.08.2010
18.	मानसिक रुग्णता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी	निःशुल्क	दिनांक 03.08.2010
19.	कुष्ठ रोग मुक्त	निःशुल्क	दिनांक 03.08.2010
20.	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्द्धाओं में राज्य के पदक विजेता	निःशुल्क	दिनांक 10.08.2010
21.	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलन्ट्री (Gallantry) एवम् पुलिस मेडल फॉर गैलन्ट्री अवार्ड नोट-राज्य पुलिस के साथ BSF, CRPF, & RAC को भी इसमें सम्मिलित किया गया ।	निःशुल्क	दिनांक 07.06.2011
		-	दिनांक 08.01.2014
22.	असंकामक कुष्ठ रोगी	यात्री किराया में 75% छूट	दिनांक 01.04.1987
23.	थैलीसीमिया रोगी	यात्री किराया में 75% छूट	वर्ष -1992
24.	एड्सरोगी (IMMUNO COMPROMISED)	यात्री किराया में 75% छूट	दिनांक 25.08.2003
25.	कैन्सर रोगी	यात्री किराया में 75% छूट	दिनांक 01.05.1984
26.	थैलीसीमिया रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50% छूट	दिनांक 25.08.2003
27.	विद्यार्थी	यात्री किराया में 50% छूट	वर्ष- 1974
28.	कैन्सर रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50% छूट	दिनांक 25.08.2003

29.	राष्ट्रीय एवम् राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को यात्री किराया में रियायत	यात्री किराया में 50 प्रतिशत 100% छूट	दिनांक 10.02.2011 दिनांक 4.2.2020
30.	निगम के लाईसेन्सधारी कुलियों को नगरीय सेवाओं में निवास स्थान से बस स्टेण्ड आने जाने की यात्रा में रियायत	यात्री किराया में 50% छूट	दिनांक 19.05.2008
31.	65 वर्ष व इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक (i) वरिष्ठ नागरिक की आयु सीमा 65 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष निर्धारित (ii) राज्य की सीमा से बाहर यात्रा पर 30% छूट (iii) सभी श्रेणी की बसों में रियायती यात्रा अधिकृत (iv) केवल राजस्थान राज्य सीमा तक यात्री किराया में 30% छूट देय *	यात्री किराया में 30% छूट - - -	दिनांक 20.09.2004 दिनांक 20.04.2011 दिनांक 16.10.2008 दिनांक 21.6.2013 दिनांक 28.04.2014*
32.	आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में संचालित साधारण सेवा वाहनों में आदिवासियों को	यात्री किराया में 25% छूट	दिनांक 23.02.2008
33.	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलन्ट्री (Gallantry) एवम् पुलिस मेडल फॉर गैलन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति (जो वर्तमान में सेवारत नहीं) का एक सहयोगी	निःशुल्क	दिनांक 30.08.2011
34.	राजस्थान परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में यात्रा करने वाली "महिलायें" केवल राजस्थान राज्य सीमा तक यात्री किराया में 30% छूट देय *	यात्री किराया में 30% छूट	दिनांक 21.6.2013 दिनांक 28.04.2014*
35.	निम्न धार्मिक पर्व/लक्ष्मी मेलों में निगम बसों में यात्रा करने पर यात्री किराया राशि में छूट:- 1. कैलादेवी (करोली) 2. झील का बाड़ा (भरतपुर) 3. रामदेवरा (जोधपुर) 4. पुष्कर (अजमेर) केवल राजस्थान राज्य सीमा तक यात्री किराया में 30% छूट *	यात्री किराया में 30% छूट	दिनांक 04.10.2013 दिनांक 07.03.2014*
36.	हीमोफिलिया (Hemophilia) रोगी	यात्री किराया में 75% छूट	दिनांक 15.10.2014
37.	हीमोफिलिया (Hemophilia) रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50% छूट	दिनांक 15.10.2014
38.	अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान राज्य की सीमा व दिल्ली तक यात्रा हेतु सभी वातानुकूलित /वोल्वों	यात्री किराया 50 प्रतिशत छूट निःशुल्क	दिनांक 10.9.2015 दिनांक 17.6.2016
39.	80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को निःशुल्क एवं उनके एक सहयोगी को 50 प्रतिशत छूट	यात्री किराया में स्वयं को 100 प्रतिशत छूट एक सहयोगी को 50 प्रतिशत	दिनांक 17.04.2018
40.	UPSC/RPSC/RSMSSB द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु निःशुल्क यात्रा	यात्री किराया में 100 प्रतिशत छूट	दिनांक 22.5.2018

उक्त के अतिरिक्त निम्न पुलिस /सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु पर उनकी पत्नी तथा आश्रित बच्चों को निगम बसों में निःशुल्क सुविधा की अनुमति दी गई :-

क्र.सं.	विवरण	देय सुविधा	सुविधा देय तिथि
1.	कास्टेबल स्वर्गीय श्री चन्द्रभान	निःशुल्क	दिनांक 30.07.2010
2.	पुलिस निरीक्षक स्वर्गीय श्री फूल मोहम्मद	निःशुल्क	दिनांक 20.04.2011
3.	स्व. श्री दुर्गालाल कीर सुरक्षा कर्मी	निःशुल्क	दिनांक 13.10.2011
4.	स्वर्गीय श्री निहाल सिंह का.नि. न.185	निःशुल्क	दिनांक 29.12.2011
5.	स्व. श्री विजेन्द्र सिंह का.नि.चालक	निःशुल्क	दिनांक 20.06.2012